हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय स्वाभिमान

RNI No. : MAHHIN/2008/24084. epaper.rashtriyaswabhimaan.in

पेज 4 ● वर्ष : 16 ● अंक : 185 ● मुंबई, सोमवार, 3 मार्च 2025 ● पृष्ठ : 4 ● मूल्य 1 रुपए

मनपा के नए विकास कार्यों के विरुद्ध में कलवाकरों ने फूंका विगुल

'मुसलमान और ईसाई से नहीं, लेफ्ट लिबरल लोगों से है हिन्दुओं को खतरा: हिमंत बिस्वा सरमा

कोलकाता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई से नहीं, बल्कि लेफ्ट लिबरल से खतरा है।

हिमंत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'कुछ लोगों का भाषण जब मैं सुनता हूं तो वो समझते हैं कि जब से हमने संविधान को स्वीकार किया तब से भारत वर्ष की शुरुआत हुई, पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है। भारत एक सभ्यता है जो 5000 वर्ष पुरानी है। औरंगजेब जिसने प्रण किया था कि वो हिन्दू धर्म को खत्म करेगा, हिन्दू धर्म को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन खुद खत्म हो गया। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा तो मैं तो कहूंगा आप खत्म हो जाएंगे हिन्दू धर्म कभी खत्म नहीं होगा।

धीरे-धीरे लेफ्ट और लिबरल लोगों ने इस देश को घेर लिया था, फिर ऐसे ही लोगों को पद्मश्री मिली जो खासकर हिंदुओं के खिलाफ बोलती थी 214 तक ऐसा लगा कि देश अब उबर नहीं पाएगा। इतने स्कैम हुए हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया गया और कहा गया कि हिंदू मत बोलो सेकुलर बोलो और देश के प्रधानमंत्री ने यहां तक बोला कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का होगा, लेकिन यदा-यदा ही धर्मस्य और हमारे पास मोदी आए। मैं नहीं मानता कि मुसलमान और ईसाई से हिन्दुओं को खतरा है। मैं ऐसा कभी नहीं मानता। दरअसल, ये दोनों भारत में अल्पसंख्यक हैं। हिंदुओं को खतरा खुद हमारे समाज से है।

मैं मानता हूं कि हमें सबसे ज्यादा खतरा है लेफ्ट और लिबरल लोगों से है। ये जो बंगाल की आज हालत है। हिंदुओं को यहां कमजोर किया गया। ममता बनर्जी को तो यह विरासत में मिला, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो लेफ्ट और लिबरल है और आज इस विरासत का ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, मेरी उनसे संवेदना है। आपने हिंदुओं को गोमांस खाना सिखाया, लेकिन आप भूल गए कि हमारे पूर्वज अगर गाय का दूध नहीं पिया हो तो आज हमारा जन्म नहीं होता। मैं हमेशा मानता हूं कि जब तक भारत ने हिंदू सुरक्षित रहेगा, तब तक अन्य धर्म भी सुरक्षित रहेंगे।

उन्होंने कहा, 'आज जो TMC का कोर वोट बैंक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बोल भी देता हूं। आज हमारे देश के मुसलमान वोट देते हैं तो क्या सोचकर देते हैं कि यह व्यक्ति हमारा करीबी है या मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। उनको मालूम है कि किसको वोट देना है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा और वो जाकर जबरदस्त बोट देते हैं और घर में कोई मरा व्यक्ति है, उनके नाम पर भी वोट दे देते हैं।' असम के सीएम ने कहा, 'हमारे धर्म का कौन संरक्षण करेगा, मैं जानता हूं कि हमारे देश का कौन संरक्षण करेगा मैं जानता हूं। लेकिन हमारे सामने का रास्ता सही नहीं हुआ इनकम टैक्स थोड़ा ज्यादा हो गया। नई पेंशन स्कीम नहीं आई तो वोट नहीं देना चाहिए तो हमारा समाज भी चुनाव के बाद दुर्बल हो जाता है। आज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर हिन्दू समाज एक रहते हैं तो सेफ रहते हैं।'उन्होंने दावा किया कि कोई मुस्लिम ने भारत के इतिहास की किताबें नहीं बदली। रोमिला थापर जैसी व्यक्ति ने JNU में बैठकर हमारे बुलंद इतिहास को विकृत किया। JNU में बैठकर हमारे समाज और देश को विनाश किया जो कोई और नहीं हिन्दू ही हैं। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां आगे चलकर कोई लेफ्ट या लिबरल का जन्म न हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें एक होना चाहिए और अगर हम एक होते हैं तो कोई ममता बनर्जी हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती।

हिमंत ने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद एक वक़्त ऐसा भी आ गया कि अब लगने लगा है वक्फ खत्म होने वाला है। ट्रिपल तलाक तक खत्म हो गया और अब हमारे देश में यूसीसी आने का संकेत मिल रहे हैं।

पुलिस को ड्रग्स का व्यापार करने वालों का सहयोग देने पर होगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे। पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ड्रग्स का व्यापार करने वाले लोगों का सहयोग करने पर तत्काल कार्रवाई किया जायेगा यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।शहर में रेमंड कंपनी के गेस्ट हाउस में स्थित कमन्युस्ट हाल में राज्य में चल रहे अपराध और कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ में बैठक हुआ।यह बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।इस बात पर चर्चा हुई कि इन अपराधों को कैसे रोका जाए और कैसे पता लगाया जाए और इस अपराध में आरोप पत्र में तेजी कैसे लाई जाए।

इसके साथ ही ड्रग्स को लेकर कार्रवाई कैसे हो रही है और भविष्य में कैसे की जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई।इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आदेश दिए गए हैं कि ड्रग्स से जुड़े किसी भी रैकेट के किसी भी पुलिस अधिकारी को निलंबित नहीं किया जाएगा बल्कि बर्खास्त किया जाएगा। महिला उत्पीड़न के मामले में समय पर आरोप पत्र दाखिल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब्त की गई संपत्ति को वापस करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि छह महीने में संपत्ति वापस करने पर मामला समाप्त हो जाय।इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम, गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोईर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, पुलिस महानिदेशक रश्मी शुक्ला, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर, ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।संतोष देशमुख हत्या मामले में अदालत में मामले की तेजी से सुनवाई होनी चाहिए और सरकारी वकील के रूप में उज्ज्वल निकम की नियुक्ति के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही कहा कि सही समय पर पूरे सबूतों के साथ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है।

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले के मुख्य आरोपित हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट

मुंबई। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में हुए 122 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपित हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएगी।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले की जांच कर रही पुलिस 122 करोड़ रुपये के गबन मामले के मुख्य आरोपित हितेश मेहता से पूछताछ कर रही है, लेकिन मेहता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने कोर्ट से हितेश मेहता

का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की मंजूरी मांगी थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है।

पुलिस के अनुसार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में 122 करोड़ रुपये की बड़ी हेराफेरी की गई थी। इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता, बिल्डर धर्मेश पांव और अभिमन्यु नाम का एक व्यक्ति शामिल है। इस मामले में चौथी गिरफ्तारी मनोहर नाम के व्यक्ति की हुई थी। अधिकारियों को संदेह है कि भानु दंपत्ति को घोटाले और भारतीय रिजर्व बैंक की जांच के बारे में पहले से जानकारी थी। यह भी पता चला है कि भानु परिवार के कई सदस्य 14 फरवरी को देश छोड़कर भाग गए थे, जिस दिन आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया गया था। हितेश मेहता के लाई डिटेक्टर टेस्ट से इस मामले की सच्चाई का पता चल सकेगा।

रोजे की तैयारियों में जुटे लोग, बाजार गुलजार

मुंबई। राजधानी में रमजान का पाक महीना रविवार से शुरू हो रहा है, जिससे पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। मुंबई, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार समेत कई इलाकों में सहरी और इफ्तारी के लिए आवश्यक सामान की जमकर खरीदारी हो रही है।

रमजान की तैयारियों को लेकर मस्जिदों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। तरावीह की नमाज शनिवार को अदा की गई, जिसके बाद रविवार से रोजे शुरू हो जाएंगे। बाजारों में खजूर, चना, खजला, फेनी, सेवई, पापड़, कचरी जैसी चीजों की खूब बिक्री हो रही है।

मोहम्मद अली रोड में सेवई बेचने वाले दुकानदार आरिफ ने बताया कि इस बार खरीदारी पहले से बेहतर हो रही है और लोग पहले से ही रमजान की तैयारियों में जुट गए हैं। रमजान की वजह से जोगेश्वरी, मीरा रोड, मिल्लत नगर, कुर्ला, बांद्रा, वाशी, नेरुल, मुंबरा, भायखल्ला और मालवानी जैसे इलाकों में भी बाजारों में जबरदस्त चहल-पहल देखी जा रही है।

रमजान के मौके पर कपड़ों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बन गया है।

पुलिसवाले बनकर अपहरण करने वाली गैंग चढी पुलिस के हत्थे

जयपुर। शिप्रापथ थाना पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सुशील उर्फ काशीराम मीणा सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस को इनके ऑफिस, घर और कार से फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, नेशनल एंटी करप्शन समूह, के अधिकारी के आई कार्ड मिले हैं। तीनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण दिगंत आनंद ने बताया कि शिप्रापथ थाना पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिसकर्मी बनकर लोगों को ठगने वाले बामनवास सवाई माधोपुर निवासी सुशील कुमार (27) पुत्र मेघराज मीणा , आलोक कुमार (27) पुत्र आत्माराम मीणा निवासी बोढा मोहल्ला, कॉलोनी बामनवास सवाई माधोपुर और धीरज कुमार मीणा (23) पुत्र बनवारी लाल मीणा को गिरफ्तार किया है।

गौरतलब है कि 24 फरवरी को भोला मीणा निवासी सवाई माधोपुर ने मामला दर्ज करवाया कि 23 फरवरी को उसके बेटे रामअवतार मीणा को तीन बदमाश त्रिवेणी नगर में अयोध्या नगर स्थित घर से उठा कर ले गए। जो अपने आप को साइबर पुलिसकर्मी बता रहे थे। आस पास के थानों में पता किया तो इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई। इसके बाद रात में करीब 11.30 बजे राम अवतार का फोन आया। कहा कि ये मुझे पीट रहे हैं। 40 हजार खाते में डालने के लिए बोल रहे हैं। इस के बाद बदमाशों ने फोन बंद कर दिया। 24 तारीख को सुबह बदमाशों ने फोन कर 10 लाख रुपए की डिमांड की। बोले कि पैसा नहीं दिया तो बेटे को दिल्ली ले जाकर गिरफ्तार करेंगे। इस पर शिप्रापथ थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला कि रामवतार ने अपने पिता को फोन किया। कहा कि उसे बदमाशों ने छोड़ दिया है। वह कमरे पर आ गया है। इस पर शिप्रापथ थाना पुलिस भी कमरे पर पहुंची। रामवतार ने बताया कि तीन लोग थे। जो खुद को पुलिस वाले बता रहे थे। बदमाशों ने उसके साथ बेल्ट व लात घूसों से मारपीट की। एटीएम, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के पिन ले लिए। खाते से जबरदस्ती 23 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए।

दादरा नगर हवेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन

दानह। दादरा नगर हवेली में 7 मार्च 2025 को चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। इसे लेकर जनता में काफी उत्साहजनक माहौल है।प्रधानमंत्री का आगमन विकास के रूप में देखा जाता है। प्रदेश में विशाल नमो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। यह अस्पताल प्रदेश और आस-पास के राज्यों के लिए एक वरदान साबित होगा। यह आधुनिक सुख-सुविधाओं से पूर्ण, बेहतर इलाज वाला अस्पताल होगा, आने जाने के लिए आसान संपर्क, रोड बेहतर बनाया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र से अनेकों रोगी इलाज करवाने यहां आते हैं। यहां पर हजारों कंपनियां होने की वजह से कंपनियों में

कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवार के लिए कम कीमत में बेहतर इलाज होगा। अस्पताल में मरीजों के परिवार को रुकने के लिए ए.सी. युक्त रूम, खाने के लिए बेहतर कैंटीन होगी।

महिला दिवस के अवसर पर दादरा नगर हवेली में प्रधानमंत्री के आने को लेकर यह चर्चा है कि जरूर महिलाओं को विशेष उपहार मिल सकता है।

चारों तरफ जनता प्रधानमंत्री के स्वागत में जुट गई हैं। इस अवसर पर गर्मी को देखते हुए पानी,शौचालय, पंडाल,पंखा, कूलर एवं पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। जिला पंचायत, चुने हुए प्रतिनिधि, सामाजिक संस्था, उद्योगपति और जनता सभी प्रधानमंत्री के आगमन पर स्वागत में जुट गए है।

प्रधानमंत्री का इस छोटे से प्रदेश में 4 बार आना प्रदेश के प्रशासक को जाता है। पिछले आठ वर्षों में बेहतर रोड, गांव-गांव तक चौड़ी सड़कें, कॉलेज,आधुनिक स्मार्ट पाठशाला, स्कूल, पॉलिटेक्निक कोलेज, मेडिकल कोलेज, नर्सिंग कोलेज जैसे अनेक विकास का काम हुआ है।

शिंदे की गलतियों के कारण बीजेपी बेनकाब : संजय राउत

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में न जाने को लेकर हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर तंज कसा था। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में उद्धव के स्नान नहीं करने को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि ठाकरे खुद को हिंदू कहने से डरते हैं। वहीं अब शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है।

संजय राउत ने शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उनसे पूछा है कि हिंदूवादी नेता शिंदे जो सवाल वो उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं, क्या वहीं सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत से पूछने की उनमें हिम्मत है? राउत ने कहा कि शिंदे को यह सवाल सबसे पहले मोहन भागवत से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भागवत एक हिंदू होने के नाते कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए, तो

फिर उद्धव ठाकरे को क्यों निशाना बनाया जा रहा है?।

पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने RSS संस्थापक डॉ। के बी हेडगेवार या संघ के पूर्व प्रमुखों एम एस गोलवलकर, बालासाहेब देवरस, रज्जू भैया और के। सुदर्शन के किसी भी कुंभ में शामिल होने की तस्वीरें कभी नहीं देखीं। यहां तक कि (हिंदुत्व विचारक) विनायक दामोदर सावरकर भी कुंभ मेले में नहीं गए। इसके साथ ही संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम बनने से पहले मोदी कभी किसी कुंभ में गए थे? । उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रचार का हथकंडा है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिछले महीने महाकुंभ में गए थे, लेकिन उनके कितने कैबिनेट सहयोगी या (बीजेपी विधायक वहां गए)।

राउत ने शिंदे की राजनीतिक सूझबूझ की भी आलोचना की और कहा कि बीजेपी को उपमुख्यमंत्री को सवाल पूछने का प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिंदे की गलतियों के कारण उद्धव ठाकरे से ज्यादा बीजेपी और उसके नेता बेनकाब हो रहे हैं।

दरअसल डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रयागराज में कुंभ स्नान न करने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए। ऐसे लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है। देश और दुनिया के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन कुछ हिंदूवादी नेता वहां नहीं गए।

सिंगल बताकर 3 बच्चों के बाप ने रचाई दूसरी शादी, राज खुलते हुआ बवाल

बांका। बांका जिले से शादी का एक अजीबोगरीब माला सामने आया है। दरअसल तीन बच्चों के पिता ने खुद को सिंगल बताकर दूसरी शादी कर ली। दो साल तक ये राज किसी तरह से छिपा रहा लेकिन जब खुलासा हुआ तो परिवार में बवाल हो गया। युवती ने पति पर धोखा देने का आरोप लगाकर थाने में लिखित शिकायत पत्र दिया है। वहीं आरोपी युवक ने आरोपी से इनकार किया है।

जानकारी के मुताबिक, बाकां जिले के शंभूगंज थाना के किरणपुर गांव का है। एक युवक पर उसकी पत्नी ने छूट बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। युवक पर उसकी दूसरी बीबी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजेश कुमार ने मेरे साथ धोखा किया है। शादी

के वक्त राजेश के खुद को कुंवारा बताया था। वहीं उसने कहा कि राजेश की शादी 7 साल पहले मुंगेर जिले के रतनपुर गांव की एक महिला से हुई थी। राजेश कुमार की शादी ममता कुमारी के साथ 7 साल पहले हुई थी, उसके दो बेटे और एक बेटी भी है। राजेश ने शादी से पहले और बाद में भी इस बात को छिपाए रखा। झांसे में रखकर मेरे साथ शादी कर ली।

दरअसल, राजेश को भागपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कटहरा गांव की युवती रिमझिम कुमारी से प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाते हुए लव मैरिज कर ली और घर से बाहर रहने लगे थे। वहीं रिमझिम को राजेश की शादी के बारे में दो साल बाद जानकारी हुई थी तो उसने साथ में रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और न्याय के लिए शंभूगंज थाने में पुलिस से शिकायत की। इससे पहले दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया था।

हालांकि इस मामले पर राजेश कुमार ने कहा कि हमारे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उसने कहा कि रिमझिम खुद उसे छोड़कर जाना चाहती है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शंभूगंज थानाध्यक्ष ने कहा कि गांव के लोगों से सच्चाई का पता लगाया जा रहा है।

संपादकीय

दुरुपयोग आर्थिकी व खेती के लिये घातक

देश के कई राज्यों में रासायनिक खादों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि ने नीति-नियंताओं को चौंकाया है। विशेषकर हरियाणा में यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी की खपत में तीव्र वृद्धि ने उर्वरक मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह तथ्य चौंकाने वाला है कि इस रबी के सीजन में हरियाणा में यूरिया खाद का उपयोग अट्ठारह फीसदी तक बढ़ गया है। जबकि कुछ जिलों में डीएपी की खपत में 184 फीसदी का उछाल देखा गया है। दरअसल, रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग और सब्सिडी वाले उर्वरकों की जरूरत से ज्यादा खपत, असामान्य स्थिति का संकेत दे रही है। जिसके चलते अधिकारियों को शंका है कि सब्सिडी वाले नीम कोटेड यूरिया को बड़ी मात्रा में खरीदकर प्लाइवुड, राल व खनन विस्फोटक जैसे उद्योगों के लिये ले जाया जा रहा है। जिनके लिये तकनीकी-ग्रेड वाला यूरिया खासा महंगा पड़ता है। आशंका जतायी जा रही है कि इन व्यवसाय में लगे कुछ लोग इस मूल्य अंतर का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर सब्सिडी वाली खाद की हेराफेरी कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार ये असामाजिक तत्व करीब दस लाख टन यूरिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी कीमत छह हजार करोड़ रुपये बतायी जा रही है। इसकी पड़ताल के लिये केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारियों के साथ संयुक्त अभियान आरंभ किया है। साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय उर्वरक विभाग आपूर्ति श्रृंखलाओं की निगरानी और रासायनिक खादों के रिसाव पर अंकुश लगाने के लिये विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है। कोशिश है कि किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाली खाद के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। आशंका जतायी जा रही है ऐसी कोशिश पर यदि समय पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कालांतर किसानों के लिये खाद की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिसके सामाजिक व राजनीतिक निहितार्थों को समझते हुए केंद्र सरकार के संबंधित विभाग सतर्क प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

यह तथ्य निर्विवाद है कि खेती में अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। दरअसल, आम किसानों को ठोस जानकारी नहीं मिल पाती कि इसका कितना उपयोग अधिक फसल लेने व भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिये काफी है। आम किसान पैदावार बढ़ाने के लिये बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग करते हैं। खासकर नई उच्च नाइट्रोजन वाली गेहूं की किस्मों के लिये। वहीं एनपीके यानी सोडियम, फॉस्फोरस व पोटेशियम उर्वरक की खपत में वृद्धि ने यूरिया पर निर्भरता को और अधिक बढ़ा दिया है। जिससे मिट्टी का क्षरण, कीट जोखिम बढ़ने के साथ ही भूजल प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हो रही है। निर्विवाद रूप से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है बल्कि कृषि भूमि की दीर्घकालीन उपादेयता को भी कम कर रहा है। उर्वरकों की खपत में तेजी से वृद्धि देश की आर्थिकी पर प्रतिकूल असर डाल रही है। उर्वरकों के आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता वित्तीय संकट को भी बढ़ावा दे रही है। देश वार्षिक रूप से करीब 75 लाख टन यूरिया का आयात करता है। यूरिया की बढ़ती वैश्विक कीमतों ने उर्वरक सब्सिडी को 1.75 ट्रिलियन रुपये से अधिक कर दिया है। यदि इस स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो बढ़ती उर्वरक मांग अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालेगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार उर्वरक की बिक्री की निगरानी को सशक्त बनाए । सब्सिडी वाली रासायनिक खाद का दुरुपयोग करने वालों के लिये सख्त दंड की व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। इसके अलावा किसानों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि खेती में खाद का उपयोग कैसे संतुलित ढंग से किया जाना चाहिए। रासायानिक खाद की बिक्री को अनियंत्रित छोड़ देने से न केवल संकट का असर करदाताओं पर बोझ बढ़ाएगा वरन अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। साथ ही बड़ा संकट इस बात का भी कि खेती में अत्यधिक रासायनिक खाद के उपयोग से हमारे पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव होगा। जो कालांतर कृषि की स्थिरता को भी संकट में डाल सकता है।

ट्रंप-जेलेंस्की बहस को छोड़िये, चर्चा इस पर करिये कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने देश के साथ क्या किया

> एक वर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ओर से जेलेंस्की के साथ किये गये बर्ताव को अमर्यादित बता रहा है लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि जेलेंस्की की सनक की सजा यूक्रेन के साथ ही पूरी दुनिया को भुगतने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

यूक्रेन में भी एक आपदा सरकार चल रही है जिसके राष्ट्रपति हैं वोलोदमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने पद संभालने के बाद से अपने देश को आपदा में झोंक दिया। रूस के साथ तीन वर्ष से चल रहे युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। लाखों लोग मारे गये हैं, आधी जनता दूसरे देशों में भाग कर शरणार्थी जीवन गुजार रही है, सारे संसाधन तबाह हो चुके हैं लेकिन जेलेंस्की को युद्ध युद्ध खेलना अब भी अच्छा लग रहा है। वह अब भी कह रहे हैं कि संघर्षविराम के लिए राजी नहीं होंगे। देखा जाये तो इस युद्ध में यदि यूक्रेन को बड़ी शक्तियों का साथ नहीं मिलता तो वह दो दिन भी मैदान में नहीं टिक सकते थे लेकिन जेलेंस्की अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी भी देश के लिए उनकी मदद करते रहने की एक सीमा है। जेलेंस्की को समझना होगा कि दो देशों का युद्ध अगर तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हुआ तो पहले ही तमाम चुनौतियों से जूझ रही दुनिया के लिए मुश्किलें और बढ़ जायेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान जिस तरह खरी खरी सुनाई उसकी दुनियाभर में तारीफ हो रही है। हालांकि एक वर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ओर से जेलेंस्की के साथ किये गये बर्ताव को अमर्यादित बता रहा है लेकिन ऐसे लोगों को समझना होगा कि जेलेंस्की की सनक की सजा यूक्रेन के साथ ही पूरी दुनिया को भुगतने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जहां तक ओवल ऑफिस में अमेरिका और

यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच हुई तीखी बहस की बात है तो आपको बता दें कि पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में हो रही बैठक में उस समय बड़ा विस्फोट हो गया जब वेंस ने रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने हाथ जोड़कर प्रतिवाद किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की ने कहा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं, जेडी? इस पर वेंस ने पलटवार करते हुए कहा, ₹मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को रोकेगी।" इस दौरान ज़ेलेंस्की ने पुतिन के प्रति उनके नरम रुख को लेकर ट्रंप को खुली चुनौती दी और उनसे ₹हत्यारे के साथ कोई समझौता नहीं करने₹ का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के हमारे बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि 2014 के दौरान किसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका। उन्होंने लोगों को मार डाला। जेलेंस्की ने कहा कि 2019 में मैंने उनके साथ युद्धविराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए मगर उन्होंने युद्धविराम तोड़ा, हमारे लोगों को मारा और कैदियों की अदला-बदली नहीं की इसलिए आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं?₹ जेलेंस्की की बात का जवाब देते हुए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ₹मैं उस कूटनीति की बात कर रहा हूँ जो देश के विनाश को समाप्त कर सकती है।" जेडी वेंस ने कहा कि आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन या किसी और के साथ नहीं हूं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हूं और दुनिया की भलाई के लिए संवाद में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की के मन में जो नफरत है, उस तरह की नफरत के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए, युद्ध विराम तुरंत हो सकता है। यदि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि ज़ेलेंस्की कहते हैं कि उन्हें युद्ध विराम नहीं चाहिए तो उन्हें अमेरिका के बिना लड़ना होगा और यदि वे अमेरिका के बिना लड़ते हैं, तो ये आसान नहीं होगा क्योंकि हमारे बिना वे जीत नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की को यह महसूस करने की जरूरत है कि वह युद्ध हार रहे हैं। ट्रंप ने कहा, "मैं अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहता।" ट्रंप ने जेलेंस्की के प्रति तीखा रुख दिखाते हुए उन पर "लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालने" का आरोप लगाया और कहा कि उनकी कार्रवाई से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। हम आपको यह भी बता दें कि इस तीखी बहस को पूरी दुनिया में लोगों ने देखा।

इस बहस से माहौल इतना गर्म हो गया था कि ट्रंप ने अपने दो शीर्ष सहयोगियों को ज़ेलेंस्की को यह बताने का निर्देश दिया कि अब उनके जाने का समय हो गया है। ऐसा तब हुआ जब वेटर वहां आये प्रतिनिधिमंडलों को दोपहर का भोजन परोसने की तैयारी कर रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि वार्ता जारी रखने की जेलेंस्की की इच्छा के बावजूद यूक्रेनियन प्रतिनिधिमंडल को वहां से चले जाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेन और अमेरिका खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने में भी विफल रहे। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ट्रम्प को फिलहाल खनिज सौदे पर दोबारा विचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की 'व्हाइट हाउस' से चले गए। हालांकि इस बहस ने अमेरिका और यूरोप के बीच उभरी गहरी दरार को उजागर कर दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने वार्ता के दौरान जेलेंस्की को स्टूपिड भी कह दिया था। इससे पहले भी ट्रंप जेलेंस्की को तानाशाह बता चुके हैं।

उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ कहासुनी के बाद व्हाइट हाउस से रवाना होने के बाद यूक्रेन के समर्थन के लिए ट्रंप और अमेरिका का आभार व्यक्त किया। व्हाइट हाउस से प्रस्थान के कुछ ही मिनट बाद, जेलेंस्की ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों का धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की आवश्यकता है, और हम बस उसी के लिए काम कर रहे हैं।"

दूसरी ओर, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच 'ओवल ऑफिस' में हुई तीखी बहस के बाद यूक्रेन के यूरोपीय साझेदारों और दुनिया के अलग-अलग देशों के नेताओं ने जहां जेलेंस्की का समर्थन किया तो वहीं दूसरी ओर 'व्हाइट हाउस' ट्रंप के साथ खड़ा दिखाई दिया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन ने 'एक्स' पर लिखा, "आपने जो गरिमा दिखाई, उसने यूक्रेन के लोगों की बहादुरी को दर्शाया है।

सरोकर

दिल ढूंढ़ता है फिर वही !

फ़ुरसत के चार दिन तो कौन से हैं वो चार दिन, कब मिलेंगे, कब तक रहेंगे।

बहादुर शाह ज़फ़र जब अपने महल को आख़िरी बार निहार रहे थे। साथ छूट रहा था, तब उनकी जुबान ने रोते-रोते कहा था।

उम्र-ए-दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरज़ू में कट गये दो इंतिज़ार में।

बड़ी मुद्दत से ज़िंदगी की बात होती है, होती रहेगी, ज़िंदगी चलती रही, चलती रहेगी। हम भी यूं ही ज़िंदगी का साथ तब तक निभाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी मुझे साथ लेकर चलती है। बिना शर्त, बिना कोई लाग लपेट।

किसी बड़े शायर ने कहा था, उन्हें नफरत हुई सारे जहां से, नई दुनिया कोई लाये कहां से।

उसी जगह पर फ़िराक़ गोरखपुरी कहते हैं, ये माना ज़िंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी।

एक तरफ़ जहां फ़िराक़ ज़िंदगी से कुछ उम्मीद जगाते हैं, तो दूसरी तरफ़ एक हारा हुआ राजा सारी उम्मीदें छोड़ कर जा रहा है।

आज मैं अपने पुश्तैनी घर अपने लोगों से मिलने जा रहा हूं। बहुत साल बीत गये वहां गये हुए। न जाने कैसा हो अब वो घर, मुहल्ला, शहर और शहर का माहौल। मन में बहुत ख़ुशी है, तो थोड़ा-सा डर भी। सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, परिवर्तन इतनी तेज़ी से होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जब हम उम्र में छोटे हुआ करते थे। बड़ा-सा शहर छोटा सा क़स्बा, थोड़े से लोग, सारे इतने जाने-पहचाने लोग कि जिधर भी जाओ उनसे ही मिल जाओ।

गंगा नदी के किनारे बसा मुहल्ला, नाप लो तो बित्ते भर, देख लो तो विराट सम्भावनाओं से भरा।

ऐसे ही होते थे तब छोटे शहरों के मुहल्ले, अब भी मिल जाते हैं ऐसे क़स्बे और वैसे ही लोग, लेकिन थोड़ा परेशान, थोड़ा आशंकित, एक ऐसी दौड़ में शामिल जहां जो कुछ भी है वो कम लगे, दूसरे का सुख तकलीफ़देह और अपनी परेशानी पहाड़ कि कैसे पार हो।

परिवर्तन जीवन की सच्चाई है, होना भी चाहिए, लेकिन छोटे शहरों का सुकून बड़े शहरों में परछाई की तरह पैरों से लिपटा, दुबका, आंखों पर हाथ रखकर धीरे-धीरे देखता है कि कहीं उन्नति की हक़ीक़त में उसकी आंखें न चुंधिया जायें।

अपना कच्चा घर याद करके जैसे मन भर जाता है, क्या दिन थे वो, पता नहीं अच्छे थे या ख़राब, लेकिन वो दिन थे बेहतरीन। चार कच्चे कमरों के बीच बड़ा-सा आंगन, बीच में तुलसी जी का स्थान जहां दीपक रोज़ जलाया जाता, बड़ी बात ये कि दीपक जलाते समय मां अपने सिर पर आंचल रख लेती। दो मिनट आंखें बन्द करके कुछ बुड़बुड़ाती और परिक्रमा करती और हमें मिस्री का प्रसाद लेने के लिये हाथ फैलाने को कहती। तब हमारे लिये प्रसाद का मतलब कोई मिठाई ही होता था, खाया और हाथ पोंछ कर भाग लिये। कभी तुलसी तो कभी पीपल पूजा का अलग दिन अलग तरीक़ा, लेकिन प्रार्थना एक ही।

कभी बारिशों में भीग कर भुट्टे खाये हैं, कभी खेत में बैठकर सरसों के छोटे-छोटे चटक पीले धानी रंग के फूलों को पास से देखा है। कभी मटर को सीधे खेतों में छील कर खाया, गन्ने को तोड़ कर छील कर खाया। हम में से न जाने कितने लोग ईश्वर के दिये अन्न के इस उपहार का स्वाद ले चुके होंगे और न जाने कितने लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि दूसरा मौक़ा जल्दी ही मिले।

मिट्टी की वो ख़ुशबू जो बारिश के तुरंत बाद सोंधी-सी महकती है, धरती जैसे महुआ की महक से गमकती हुई। सड़क पर सैर करते महुआ बीनते बच्चे, बड़े और मैं, जंगली बेर, चिलबिल के बीज ये वो ख़ज़ाना था जो प्रकृति मुफ़्त ही लुटा रही थी, बस लूटने वाले की ज़रूरत थी। हम शामिल रहते थे उस वरदान को पाने के लिये, जिसका स्वाद आज भी जुबान से गया ही नहीं।

विक्रम बेताल, चाचा चौधरी, पंचतंत्र की कहानियां, मोटू-पतलू, नंदन, पराग, तोता-मैना, धर्मयुग आदि पढ़कर बड़े हुए, लेकिन उन सभी की कथायें नस-नस में अब भी बह रही हैं।

तब पिज़्ज़ा, बर्गर का पदार्पण नहीं हुआ था, काला खट्टा, लेमन चूस जैसे चीज़ें जो स्वाद देती थीं वो स्वाद भले ही पहले से बदला, अच्छा हुआ है लेकिन दस पैसे में पांच का तिलिस्म अभी भी क़ायम है।

फिर पढ़ाई ने किताबों का रूप बदला, विषय नये मिले और बचपन कहीं पीछे अस्सी के दशक से बाहर निकल आया।

गर्मियों में भुना चना, लाई, गुलगुले और सर्दियों में गोभी, धनिया और पुलाव, पता नहीं क्या-क्या पकवान बनते, जैसे होली में गुझिया तो सर्दी में गाजर हलवा, ये सब इतने स्वादिष्ट थे कि भूल पाना असम्भव है, जिनके मिल जाने की उम्मीद हमेशा एक सुखद अनुभव है।

नीम के पेड़ पर पड़े बड़े-बड़े झूलों में जब बड़े-बच्चे रेगें मारते, लगता आसमान छू कर ही लौटेंगे, लेकिन अब जबकि हवाई जहाज़ से आसमान में ऊपर नीचे देखो तो लगता है, हम सचमुच बहुत ही छोटे हुआ करते थे।

एक गली हुआ करती थी, दो दीवारों के बीच, थोड़ी सोंधी-सी, थोड़ी बेला-सी, थोड़ी रूह की मीठी चाशनी। जहां कुछ भी न था पर, दो पर थे, उड़ जाने के, इस दुनिया से ही दूर। वहां इश्क़ की महफ़िल जमती थी। जहां रांझे रूठा करते थे। उस गली की छत भी नीली थी, जहां इत्र बरसता रहता था।

न्यायपालिका में पारदर्शिता की ओर पहलकदमी

भारत की न्यायपालिका, जो न्याय और समानता की आधारशिला है, हमेशा से ही सुधारों की मांग करती रही है। लंबित मामलों का बोझ, ऊंच-नीच के आरोप और प्रक्रियात्मक जटिलताओं ने न्यायपालिका की दक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधान है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। यह विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है, जो भारत में कानूनी पेशे को नियंत्रित करता है।

पहले, 1961 के अधिनियम के अनुसार, कोर्ट में वकालत करना ही कानूनी व्यवसाय माना जाता था। लेकिन, नए विधेयक में कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को और बढ़ा दिया गया है। अब, कानूनी व्यवसाय में कोर्ट में वकालत करने वालों के अलावा वे सभी लोग शामिल होंगे जो कानून से जुड़े अलग-अलग कामों में लगे हैं, जैसे कि कंपनियों के लिए कानूनी काम, कॉन्ट्रैक्ट बनाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े काम। इस बदलाव से कानूनी पेशे का दायरा बढ़ गया, इसमें कई तरह के कानूनी काम शामिल हो गए हैं। इससे कानूनी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और नागरिकों को विविध कानूनी मदद प्राप्त करने में आसानी होगी।

वर्तमान में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के सदस्य राज्य बार काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 4 में संशोधन करके केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह बीसीआई में मौजूदा निर्वाचित सदस्यों के अलावा 3 सदस्यों को नामित कर सके। यह संशोधन सरकार को कानून के प्रावधान लागू करने में बीसीआई को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करेगा।

वर्तमान में, अपने मुवक्किल को धोखा देना पेशेवर कदाचार माना जाता है, जिसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया से की जाती थी। हालांकि, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 45बी के तहत, पेशेवर कदाचार के कारण यदि किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वह बीसीआई में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी हड़ताल के कारण किसी का नुकसान होता है, तो यह वकील का पेशेवर कदाचार माना जाएगा। यह संशोधन मुवक्किलों के अधिकारों को और अधिक सुरक्षित करता है। यह प्रावधान वकीलों को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने मुवक्किलों के हितों की रक्षा करें।

अभी तक, एक वकील एक साथ कई बार एसोसिएशनों का सदस्य हो सकता था और उन सभी में चुनाव के दौरान वोट भी कर सकता था। लेकिन, नए विधेयक में धारा 33ए जोड़ी गई जिसके अनुसार, अदालतों, ट्रिब्यूनलों और प्राधिकरणों में वकालत करने वाले वकीलों को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां वे वकालत करते हैं। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं, तो 30 दिनों के भीतर बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। अब वकील एक से अधिक बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं हो सकते और केवल एक बार एसो. में वोट कर सकते हैं।

मौजूदा व्यवस्था में, हड़ताल करना गैरकानूनी नहीं था, लेकिन पेशेवर कदाचार माना जाता था। हालांकि, नए विधेयक में धारा 35ए जोड़ी गई है, जो किसी वकील या वकील संगठन को अदालत के बहिष्कार का आह्वान करने, हड़ताल करने या काम रोकने से रोकती है। इस धारा का उल्लंघन वकालत पेशे का कदाचार माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को लेकर वकीलों में कई चिंताएं हैं। उनका मानना है कि इसके कुछ प्रावधान उनके अधिकारों का हनन और न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं। तर्क है कि धारा 35ए उन्हें अपनी बात रखने और समस्याएं उठाने के लिए हड़ताल-बहिष्कार जैसे महत्वपूर्ण हथियारों से वंचित करती है। वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन मानते हैं। उनका कहना है कि यह धारा उनकी आवाज दबाने जैसी है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकती है।

विधेयक की धारा 35 में वकीलों पर 3 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वकीलों का मानना है, यह जुर्माना उन पर अनावश्यक दबाव डालेगा और उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, नए कानून के अनुसार, अगर किसी की शिकायत झूठी या बेकार साबित होती है, तो उस पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। लेकिन, यदि किसी वकील के खिलाफ झूठी शिकायत की जाती है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। वकील इसे एकतरफा कानून मानते हैं और अपने साथ अन्याय बताते हैं। नये विधेयक की धारा 36 के तहत, बीसीआई को किसी भी वकील को तुरंत निलंबित करने का अधिकार है। वकीलों को डर है कि यह प्रावधान उनके खिलाफ दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। बिना उचित जांच किसी को निलंबित करना अन्यायपूर्ण है।

नजरिया

जल्दी-जल्दी खाना खाने पर क्यों टोकती है दादी-नानी?

दादी-नानी हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की सलाह देती हैं। इसी वजह से दादी-नानी अक्सर बच्चों या युवा पीढ़ी को जल्दी-जल्दी, हड़बड़ी या जल्दबाजी में खाना खाने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से खाना ठीक से पचता नहीं है। खाने को ठीक से चबाना और आराम से खाना पाचन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा, यह आदत पेट की समस्याओं, जैसे कि गैस या एसिडिटी, को बढ़ा सकती है।

ब्रह्म हो जाते हैं नाराज

हिंदू धर्म में भोजन का संबंध मन व आत्मा से माना गया है और अन्न को ब्रह्म कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन को जल्दबाजी में खाया जाए तो यह ब्रह्म देव व माता अन्नपूर्णा का अपमान करने के सामान होता है। ऐसे में भोजन को हमेशा शुद्ध मन और अच्छी भावनाओ के साथ धीरे-धीरे ग्रहण करना चाहिए। साथ ही भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम भी करना चाहिए।

जल्दी-जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए भोजन?

भारतीय संस्कृति में भोजन को एक पवित्र क्रिया माना जाता है। दादी-नानी यह भी जानती हैं कि अगर हम भोजन को जल्दबाजी में करते हैं, तो न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्मा को भी सही पोषण नहीं मिलता। वे चाहती हैं कि हम भोजन को प्रेम और सम्मान के साथ खाएं, ताकि न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी स्थिर रहे। जब शांतिपूर्वक भोजन किया जाता है तो यह मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

पाचन प्रक्रिया की सही कार्यप्रणाली

भोजन को अच्छे से चबाना और सही तरीके से खाना पाचन में मदद करता है। अगर हम जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हम ठीक से चबाते नहीं हैं और भोजन को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे कब्ज, गैस, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए भोजन को हमेशा धीरे-धीरे और आराम से खाने की सलाह देती हैं, ताकि पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाव

जल्दी-जल्दी खाना खाने से शरीर में अचानक से ज्यादा भोजन जाता है, जो शरीर को सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता। इससे न केवल पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं बल्कि वजन बढ़ने और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी खतरा रहता है। दादी-नानी हमें यह समझाती हैं कि खाने को धीरे-धीरे और पर्याप्त समय देकर खाने से शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं और हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होतीं।

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

दिलशाद गफुर खान ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. अंसारी शरफुद्दीन बहाउद्यीन,
३८/१०/१०, स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ. ई. मोशेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. मोहम्मद जुनेद शरफुद्दीनन अंसारी,
३८/१०/१०, स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

रामजीत सायबू कनौजिया ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. रमेश कुमार आशाराम,
स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. साहेब छोटू कनौजिया,
स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

मोहम्मद मुरतुजा अब्दुल अजीज खान ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. अब्दुल कुद्दुम कुरेशी,
रा. ९८/जी.आर.डी ब्लॉक जिजामाता नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. शेख शरीफ जब्बार शेख,
रा. ९८/जी.आर.डी ब्लॉक जिजामाता नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

तौफिक शौकत अंसारी ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ ....प्रतिवादी

प्रति,
सलिम अहमद अशरफुद्यीन शेख,
रा. २६/६/६, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

झुलेखा अब्दुल अझीझ सुभेदार ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. कोकाटे सुनिल विनायक,
१०८/९/६ आनंद नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. सकिना अब्दुल हमीद सुभेदार,
१०८/९/६ आनंद नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

श्री. राजेश नरोत्तम जैसवार ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. हरिनाथ बनवारी जैसवार,
७२/२२/२६, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. रामधनी छंगुर जैसवार,
७२/२२/२६, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

श्री. जगजीवन दिनदयाल गुप्ता ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ ....प्रतिवादी

प्रति,
श्री. गंगाराम गोविंद चव्हाण,
श्रीम. गीता गंगाराम चव्हाण,
रा. ९९/९/१०, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

विमल चंद्रकांत कोठावळे ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. निसार राजेंद्र प्रसाद,
१२९/९/१९, आनंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. मालती विलास कोरे,
१२९/९/१९, आनंद नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

जुलेखा मोहम्मद अमीन अन्सारी ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ ....प्रतिवादी

प्रति,
१. लखराज खिलावन मल्लाह,
रा. १४/२/१०, जि.आर.डी स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. रामनारायण रामपत वर्मा,
रा. १४/२/१०, जि.आर.डी स्वामी विवेकानंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. ३)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

श्री. मोहम्मद इस्माईल लदाफ ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ ....प्रतिवादी

प्रति,
कुलसुम शाहील हुसैन,
रा. फ्लोर नं. ३०, विर जिजामाता नगर सह. गृहः संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

विमल दिवान सिंह ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ ....प्रतिवादी

प्रति,
कहार चंद्रकाप्रसाद छवई,
रा. १२८/१८/२३, आनंद नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.इ.मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन

अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण

पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.

EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com **PH. NO**-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

संगीता महेंद्र येलवे ....अपिलार्थी
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ ....प्रतिवादी

प्रति,
विजय किशन मांडवीकर,
रा. १०३/३२६४, सुभाष नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. ....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/-
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

सड़क बनाने से पहले ड्रेनेज लाइन व पानी की लाइन डालने की मांग

भिवंडी। स्थानीय घूंघट नगर में बिना किसी प्लान व गलत तरीके से कंक्रीट रोड बनाने की योजना का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया है। नागरिकों की मांग है कि रोड बनाने से पहले आरसीसी सड़क के नीचे या साइड में पहले ड्रेनेज लाइन व पीने के पानी की लाइन डाली जाए। क्योंकि सड़क निर्माण के बाद फिर से ड्रेनेज और पानी की लाइन के लिए अनावश्यक सड़क की तोड़फोड़ न करनी पड़े।

घूंघट नगर के नागरिकों ने भिवंडी निजामपुर शहर मनपा आयुक्त व प्रशासक को भेजे गए एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में बताया है कि पुराना मुंबई आगरा रोड से
घूंघट नगर के लिए 2 करोड रुपए के लागत की सीसी सड़क पास हुई है। रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार ने 15 दिन पहले से खुदाई करके पूरा रोड अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों का जीवन नरक सा हो गया है। जिसके कारण कई नागरिकोंगिर कर घायल हो रहे है एवं घरों में गटर का गंदा पानी भर रहा है। इसी के साथ पीने के पानी की लाइन टूटने से कई परिवार वालों को पीने के लिए बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ रहा है। ज्ञापन में नागरिकों ने हैरानी जताया है कि ठकेदार बिना ड्रेनेज लाइन पाइप लाइन डाले बिना किसी प्लान के सड़क बनाने जा रहा है। नागरिकों ने चिंता व्यक्त की है कि बिना गटर, ड्रेनेज लाइन व पाइप लाइन डाले जाने से नागरिकों को सड़क निर्माण के बाद भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, या तो सड़क को तोड़कर ड्रेनेज वा पीने के पानी की लाइन डालनी होगी। यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो शासन प्रशासन व नागरिकों के पैसे की बबादी होगी, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागरिकों ने मनपा प्रशासक को देए गए ज्ञापन में चेतावनी दिया है कि यदि सभी नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर यदि सड़क नहीं बनाई गई तो घुंघटनगर सभी नागरिक मिल कर मनपा प्रशासन मुख्यालय के सामने प्रदर्शन, धरना एवं जनआंदोलन करेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी मनपा के पीडब्ल्यूडी विभाग एवं मनपा प्रशासन की होगी।

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका की बड़ी कार्रवाई - 6/फ और 9/आय प्रभाग में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर !

कल्याण। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका की आयुक्त डॉ. इंदु रानी जाखड़ के निर्देशानुसार, 6/फ प्रभाग की सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर ने डोंबिवली पूर्व स्थित खंबाळपाडा में शंकेश्वर पार्क बिल्डिंग के बगल में गार्डन के लिए आरक्षित भूखंड (आरक्षण क्र. 25) पर बनी ग्राउंड प्लस 4 मंजिला अवैध इमारत पर तोड़क कार्रवाई शुरू की।

इस कार्रवाई में अवैध निर्माण/फेरीवाला विभाग के कर्मचारी, महानगरपालिका पुलिस अधिकारी व अन्य कर्मचारी शामिल रहे। साथ ही 1 पोकलेन, 2 ब्रेकर, 2 गैस कटर और मजदूरों की मदद से इस इमारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार, 9/आय प्रभाग में सहायक आयुक्त भारत पवार के नेतृत्व में ढोकली गांव, कोहिनूर रोड पर स्थित ओम साई बिल्डर सचिन शेलके द्वारा बनाई गई ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत पर भी तोड़क कार्रवाई की गई।

रायगढ़ में शिवराज्याभिषेक आयोजन समिति ने की शिवक्रांति प्रतिष्ठान के कार्यों की सराहना

भिवंडी। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर तालुका के मराडे पाडा में बनकर तैयार होने वाला है। शिवक्रांति प्रतिष्ठान के प्रमुख राजू भाऊ चौधरी और उनके सहयोगियों ने सात वर्षों के अथक प्रयासों के बाद इस भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर का उद्घाटन समारोह 17 मार्च को शिव जयंती के दिन हो रहा है, जो तिथि के अनुसार मनाई जाती है। मंदिर निर्माण के कार्य की कई लोगों द्वारा सराहना की। हाल ही में, रायगढ़ किले में तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को मनाने वाली राज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सनी ताठेल ने अपने पदाधिकारियों के साथ इस मंदिर का दौरा किया और प्रतिष्ठान के काम की सराहना की।

छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरी दुनिया में भगवान के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। यह राज्याभिषेक समारोह 350 वर्षों के बाद और शिव जयंती 400 वर्षों के बाद मनाई जा रही है। राज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सनी ताठेल ने कहा कि आज उनके कई पहलुओं का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के अलावा समाज के लिए कोई और प्रेरणा स्थल नहीं है। ऐसे में शिवक्रांति प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज का यह मंदिर भविष्य में कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान

हिन्दी दैनिक
राष्ट्रीय स्वाभिमान
पत्र व्यवहार: रफ्तार इंडिया एक्सप्रेस
249, वृंदावन भवन, कालबादेवी रोड, मुंबई 400 002
ईमेल:rastriyaswabhimaan@gmail.com
भ्रमण ध्वनि क्र.: 9224733113

04 मुंबई, सोमवार, 3 मार्च 2025 महाराष्ट्र
epaper.rashtriyaswabhimaan.in
www.rashtriyaswabhimaan.com

मनपा के नए विकास कार्यों के विरुद्ध में कलवाकरों ने फूंका विगुल

ठाणे। ठाणे मनपा ने विकास कार्य को लेकर एक नया मॉडल विकास योजना तैयार की है।यह आरोप लगाते हुए कि यह विकास योजना एक विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया है।राकांपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में हजारों कलवाकर इस योजना के विरुद्ध एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया।ठाणे महानगर पालिका ने एक नई विकास योजना तैयार किया है।इस योजना के अनुसार सम्पूर्ण कलवा-खारीगांव को नष्ट कर दिया जायेगा।इसके लपेट में 350 से 400 इमारतों को स्थानांतरित किया जायेगा।इससे 45 हजार निवासी बेघर हो जायेंगे।इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इसी के तहत कलवाकरों ने कलवा नाका पर एकत्रित

होकर इस नई विकास योजना के खिलाफ बिगुल फूंका।इस समय कलवा और खारीगांव क्षेत्रों में लगभग 400 इमारतें विकास योजना से अवरुद्ध होंगी।साथ ही कलवा खाड़ी पुल के पास के क्षेत्र में तीन इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और निवासी बेघर हो जाएंगे।आम तौर पर करीब 45 हजार परिवार सीधे सड़क पर आ जायेंगे।अगर कलवा-खारीगांव के निवासियों को मारकर ऐसा विकास होने वाला है तो हम इसके खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब ऐसे विकास प्रस्ताव के खिलाफ सभी दल एकजुट होकर आंदोलन खड़ा करेंगे।पिछले सत्र में मुख्यमंत्री की ओर से यह डी.पी. योजना को लेकर आश्वासन दिया गया है।डॉ. जीतेंद्र आव्हाड ने यह भी कहा कि कल से शुरू होने वाले सत्र में हम सरकार से इस संबंध में जवाब मांगेंगे।इस अवसर राकांपा शहर अध्यक्ष सुहास देसाई,पूर्व विपक्ष नेता मिलिंद पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश पाटिल,पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रमिलाताई केनी,पूर्व नगरसेवक महेश सालवी, अपर्णा सालवी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही।

भिवंडी तहसीलदार कार्यालय ने रेत माफिया के खिलाफ की कार्रवाई, तीन पंप और एक बार्ज नष्ट किया

भिवंडी। अवैध रेत खनन माफिया के विरुद्ध हुई कार्यवाई से मचा हड़कंप। कार्यवाई मे रेत खनन करने वाले हुए फरार। बतादे कि जिलाधिकारी अशोक शिँगारे को ठाणे खाड़ी से लेकर भिवंडी के कई इलाकों एवं कोनगांव कल्याण तक अवैध रूप से रेती निकालने कि शिकायत मिल रही थी। जिस पर कार्यवाई करने के आदेश के बाद, उप-विभागीय अधिकारी अमित सानप और तहसीलदार अभिजीत खोले के मार्गदर्शन में मंडल अधिकारी सुधाकर कामडी और राजेंद्र वंजारी के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों की टीम ने खाड़ी के किनारे रेत खनन माफिया के विरुद्ध हुई कार्यवाई शुरू की। जहाँ तीन सक्शन पंप और एक बजरा नष्ट कर दिया। शनिवार को दिवे केवणी से खारबाव तक सरकारी नाव कि सहायता से खाड़ी में दौरा कर अवैध रूप से

रेत निकालने वाले सक्शन पंप और बार्ज के खिलाफ कार्यवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दिवे केवणी के सामने वाघबिल ठाणे खाड़ी के किनारे पर टीम को एक सक्शन पंप मिला। जांच दौरान सक्शन पंप की दीवार खुली हुई थी और उसमें पानी भर गया था, इसलिए टीम ने सेक्शन पंप की पाइप को काटकर उसमें आग लगा दी और सक्शन पंप को खाड़ी में डुबो दिया। पिम्पलास से कोन खाड़ी तक अवैध रूप से रेत निकालने के आरोप में दो सक्शन पंप और एक बार्ज जब्त किया गया। इन सभी उपकरणों को कोन बंदरगाह पर लाया गया और गैस कटर की मदद से सक्शन पंप और बार्ज को नष्ट करके अज्ञात रेत खननकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र शासन
अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण
पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.
EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com PH. NO-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

हैदरअली मकबूल अहमद इद्रिसी .....**अपिलार्थी**
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर ३ .....**प्रतिवादी**

प्रति,
१. बशीर अली मलिक,
रा. ८/५/८, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह. संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. भगवती गेगराज जोशी,
रा. ८/५/८, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. ३)**
३. हिरालाल गेगराज जोशी,
रा. ८/५/८, माता रमाबाई आंबेडकर नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र.४)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४०००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२, ०३ व ०४ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/ -
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

विश्व हिंदू परिषद व श्री सत्य श्रध्दा संस्था के तत्वावधान में 551 जोड़ों का सामूहिक रूद्राभिषेक

प्रेम चौबे।राष्ट्रीय स्वाभिमान

मुंबई। मालाड़ विश्व हिन्दू परिषद व श्री सत्य श्रद्धा संस्था ने एक बार फिर से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और शांति के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विश्व हिन्दू परिषद व श्री सत्य श्रद्धा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में आचार्य अभिनेष तिवारी के सान्निध्य में 551 जोड़ों ने रुद्राभिषेक और कालसर्प दोष शांति के लिए एक साथ पूजा-अर्चना की। बता दें ग्यारह वर्षों से अनवरत जारी महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न स्थानों किए जाने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आचार्य अभिनेश तिवारी जी द्वारा श्री सत्य श्रध्दा संस्था के माध्यम किया जा रहा है,जिसमें विहिप की भूमिका विशेष सहयोगी के रूप में हमेशा रहती है।

शिवरात्रि के दिन दो सत्रों में चलने वाले कार्यक्रम का श्री गणेश वैदिक मंत्रों के उच्चारण से हुआ तत्पश्चात

551 जोड़ों ने रुद्राभिषेक और कालसर्प दोष शांति के लिए पूजा-अर्चना कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया और आयोजन समिति को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार माना,

इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले शिवभक्त धीरेश उपाध्याय ने बताया कि यह एक अद्भुत कार्यक्रम रहा,मेरे लिए नविन किन्तु पवित्र अनुभव रहा और भविष्य होने वाले ऐसे कार्यक्रम में मित्रोंसह ,सपरिवार शामिल होकर आचार्य अभिनेश तिवारी के सान्निध्य में पूजा-अर्चना करेंगे जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मन को शांति मिल सके,विश्व हिन्दू परिषद व श्री सत्य श्रद्धा संस्था ने पुनःएक बार फिर से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और शांति के प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आचार्य तिवारी ने विश्व हिन्दू परिषद व संस्था के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका और डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान का आयोजन

कल्याण। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका और डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के संयुक्त सहयोग से आज कल्याण और डोंबिवली क्षेत्र में भव्य स्वच्छता अभियान चलाया गया। कल्याण में छत्रपति शिवाजी चौक से इस अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें माननीय विधायक सुलभा गायकवाड, पूर्व विधायक नरेंद्र पवार, महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, जनसंपर्क विभाग के उपायुक्त संजय जाधव, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डॉ. प्रशांत पाटील, सहायक आयुक्त प्रीति गाडे, धनंजय थोरात सहित महानगरपालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के करीब 2500 अनुयायियों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

डोंबिवली में इंदिरा गांधी चौक से अभियान का शुभारंभ हुआ, जहां माननीय विधायक राजेश मोरे, घनकचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त अतुल पाटील, सहायक आयुक्त हेमा मुंबरकर, जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोफले, तथा घनकचरा प्रबंधन विभाग के शरद पांढरे और अगस्तीन घुटे समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के करीब 2000 अनुयायियों ने भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। डोंबिवली पश्चिम में विधायक रविंद्र चव्हाण ने भी नागरिकों, अपने सहयोगियों और प्रतिष्ठान

के अनुयायियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।

इस मौके पर प्रतिष्ठान के अनुयायियों ने विधायक रविंद्र चव्हाण, सुलभा गायकवाड, राजेश मोरे और पूर्व विधायक नरेंद्र पवार का अभियान में सहयोग के लिए धन्यवाद किया।

महापालिका के अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ महानगरपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक इस बात को समझे तो हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनने में समय नहीं लगेगा। वहीं, घनकचरा प्रबंधन विभाग के उपायुक्त अतुल पाटील ने अपील की कि कल्याण डोंबिवली को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ नगरसेवक, नागरिक और विभिन्न एनजीओ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

महाराष्ट्र शासन
अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण
पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.
EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com PH. NO-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

जमुना प्रसाद रामनिधी गुप्ता .....**अपिलार्थी**
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर ६ .....**प्रतिवादी**

प्रति,
१. शोभनाथ गुप्ता
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह. संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. २)**
२. आशा शोभनाथ गुप्ता,
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. ३)**
३. सतीश गुप्ता,,
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र.४)**
४. मीना देवी,
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र.५)**
५. अमित त्रिवेणी गुप्ता,
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह-संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र.६)**
६. संजीत त्रिभुवन गुप्ता,
रा. ९५/६/२५ वीर सुभाष नगर सह. गृह.संस्था
डॉ. ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र.७)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४०००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२,०३,०४,०५,०६ व ०७ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/ -
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन
अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण
पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.
EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com PH. NO-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

मोहम्मद रिजवान शेख .....**अपिलार्थी**
विरुद्ध
सहायक आयु महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर १ .....**प्रतिवादी**

प्रति,
सीताराम भिकू उनवरकर (मयत),
आनंदीया सिताराम उनवरकर (पत्नी)
आनंद मि उनवरकर (मुलगा),
रा. १२८/०८/२३, आनंद नगर सह. गृह.संस्था
डॉ.ई. मो. ड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४०००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/ -
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

महाराष्ट्र शासन
अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे प्राधिकरण
पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१.
EMAIL ID-addcollmumbai@gmail.com PH. NO-(०२२) २२६१००१३

जाहिर नोटीस

जुबेदा मोहम्मद याकुब मस्तान .....**अपिलार्थी**
विरुद्ध
सहायक आयुक्त महापालिका जी/दक्षिण विभाग व इतर २ .....**प्रतिवादी**

प्रति,
अब्दुल लतीफ S/O
अब्दुल अजीज अंसारी,
रा. ८९ फ्लोर, जी.आर.डी जिजामाता नगर सह. गृह. संस्था
डॉ.ई. मोझेस रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८. .....**(प्रतिवादी क्र. २)**

सदर जाहिर नोटीसीद्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, अपिलार्थी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ मधील कलम ३५ अंतर्गत मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर, पहिला मजला, जुने जकात घर, शहिद भगतसिंग रोड, फोर्ट, मुंबई ४०००००१. येथे झोपडीवर पात्रतेकामी अपिल अर्ज दाखल केला आहे. आपणांस सदर अपील प्रकरणी प्रतिवादी क्र. ०२ केले आहे. प्रकरणी दि. ०४.०२.२०२५ रोजी मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांनी आपणांस पुढील सुनावणी तारखेबाबत जाहिर नोटीसी द्वारे अवगत करणेचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रकरणी **पुढील सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजता** निश्चित केली आहे.

आपण सदर प्रकरणामध्ये प्रतिवादी क्र. ०२ व ०३ असून, सदर जाहिर नोटीसी द्वारे आपणांस सुचित करण्यात येते की, आपण नियोजित **सुनावणी दि. ०६.०३.२०२५ रोजी दुपारी १२.३०** मा.अपर जिल्हाधिकारी तथा अपिलीय प्राधिकारी, मुंबई शहर यांचे दालनात उपस्थित/हजर राहून, आपली बाजू मांडावी. उपरोक्त नमूद केलेल्या दिवशी आपण स्वतः अथवा आपले प्राधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्यास, आपणास काहीही सांगावयाचे नाही, असे गृहित धरुन प्रकरणी गुणवत्तेवर निर्णय घेण्यात येईल, यांची नोंद घ्यावी.

सही/ -
सहाय्यक महसुल अधिकारी
अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर

अभिलेखों को वर्गीकृत करने के लिए ठाणे जिलापरिषद का विशेष अभियान

ठाणे। जिलापरिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 100 दिन की कार्य योजना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के लिए 100 दिन की कार्ययोजना तय की है। इसी तर्ज पर जिला परिषद, ठाणे के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए 100 दिन का 7 सूत्रीय कार्य योजना पर जिलाधिकारी अशोक शिनगारे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे के विशेष मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है। जिला परिषद में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिला परिषद के रिकार्ड रूम में प्रचलित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में निंदाई-विनाश लेखन की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है।इसके तहत कार्यालयों में रिकार्ड को सार्वजनिक किया जा रहा है। साथ ही शासन के निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक विविध-2018/पी.नं.9/18(रा.-वि.का.) 15/02/2018 के अनुसार समस्त अभिलेखों का वर्गीकरण किया जा रहा है तथा कार्यालयों में पुराने अनुपयोगी सामान कम्प्यूटर, टेबल, कुर्सी, अलमारी आदि को निर्धारित तरीके से निस्तारित करने का कार्य अधिकारी व कर्मचारी कर रहे हैं।

मालिक जयेश जग्शी गाला हेतु प्रकाशक, मुद्रक **अश्विनी कुमार दुबे** द्वारा मोदी प्रिंटर्स, 24 बोमनजी लेन, फोर्ट, मुंबई-400001 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर महाराष्ट्र ग्रेन स्टोर्स, 28, डॉ. भगवानदास इंद्रजीत रोड, वालकेश्वर, मलबार हिल, मुंबई-400006 से प्रकाशित किया।
आर.एन.आई.:MAHHIN/2008/24084, ईमेलः rastriyaswabhiman@gmail.com संपादकः **अश्विनी कुमार दुबे** (पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी है, न्याय क्षेत्र मुंबई) कार्यकारी संपादकः अरविंद मिश्रा,
सहसंपादकः सुजीत मिश्रा (दै.'राष्ट्रीय स्वाभिमान 'में सभी लोग सहयोगात्मक और अवैतनिक तौर पर कार्यरत हैं) भ्रमणध्वनि क्र. +919224733113